प्रेस नोट दिनांक 27.02.2026

ऑपरेशन कन्विक्शन

- **श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा।**

- **मा0 न्यायाधीश श्री पारितोष श्रेष्ठ (एडीजे/एफटीसी-द्वितीय) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को 03 वर्ष के कारावास की सजा व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।**

जनपद चन्दौली थाना नौगढ़ के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 07.11.2023 को धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.प्रद्युम पटेल उर्फ गणेश पुत्र गोरख नाथ पटेल निवासी जलालपुर माफी थाना चुनार जनपद मिर्जापुर के विरुद्ध अपराध संख्या-134/2023 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली में पंजीकृत किया गया।

मानिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक मुकेश तिवारी, श्री अवधेश कुमार पाण्डेय (एडीजीसी) व थाना नौगढ़ के पैरोकार हे0का0 सतीश कुमार गोयल की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक 26.02.2026 को मा0 न्यायाधीश श्री पारितोष श्रेष्ठ (एडीजे/एफटीसी-द्वितीय) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त 1.प्रद्युम पटेल उर्फ गणेश पुत्र गोरख नाथ पटेल निवासी जलालपुर माफी थाना चुनार जनपद मिर्जापुर को 03 वर्ष के कारावास की सजा व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।